



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 मार्च, 2017

इनवेस्टीगेशन में आया, उसी पर न कार्रवाई होगी, हमारे या किसी के कहने से तो हो नहीं जायेगी ?

टर्न-6/शंभु/06.03.17

तारांकित प्रश्न-848(श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि चिड़िया मोड़ की दूरी उसके पैत्रिक थाना जयपुर से लगभग 10 कि०मी० है। थाना से चिड़िया मोड़ पक्की सड़क से जुड़ी हुई है। जिससे किसी घटना पर पुलिस शीघ्र पहुंच जाती है एवं थाना द्वारा सतत निगरानी तथा गश्ती कर विधि-व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण किया जा रहा है। वर्तमान में चिड़िया मोड़ पर ओ०पी० सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी और इनको बताना भी चाहूंगी कि एक महीना पूर्व वहां चिड़िया मोड़ आदर्श ग्राम के इर्दगिर्द कुछ घटना घटी और ग्रामीणों के द्वारा असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया और चार घंटे के बाद वहां प्रशासन पहुंचता है। जो हमको खबर मिली है उस आधार पर ही हमने यह सवाल रखा था इसीलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वहां एक अन्यत्र ओ०पी० खोला जाय।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न-849(श्री फराज फातमी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न-850(श्री मुंद्रिका प्रसाद राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि तरैया थाना वर्तमान में चीनी मिल के पुराने भवन में कार्यरत है। सारण जिलान्तर्गत तरैया थाना का नया भवन निर्मित है। वर्तमान में नये भवन में एस०एस०बी० के जवान रह रहे हैं। यह थाना माह जून, 2017 से अपने नये भवन में कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : नया भवन बना ही नहीं है तो कैसे कार्य करना शुरू कर देगा ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक बार फिर जरा उनको बता दीजिए।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, नया भवन जो बनकर तैयार है उसमें एस०एस०बी० अभी रह रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जून, 2017 में उसको खाली कराकर नये भवन में ये थाना चला जायेगा।